न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 64 /2018 जिला सीकर ।

हरनारायण पुत्र लिछमण उम्र 70 वर्ष, जाति जाट, निवासी ग्रम शेरपुरा, तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर ।

अपीलान्ट

बनाम

1. जगदीश प्रसाद पुत्र मालाराम, जाति जाट, निवासी शेरपुरा, तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर ।
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलार दांतारामगढ, जिला सीकर ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ, जिला सीकर
दिनांक 9.7.2016

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री जयदीप सिंह राठौड
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री हरलाल सिंह

निर्णय

दिनांक – 30.9.2019

पित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 9.7.2016 के खिलाफ प्रार्थना मियाद अधिनियम की धारा 5 एवं अपील ग्रहण करने बाबत प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 26.10.2018 को प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि रेस्पोंडेन्ट जगदीश प्रसाद ने एक दावा बाबत नक्शा व रिकार्ड दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा न्यायालय उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ जिला सीकर के समक्ष प्रस्तुत किया कि उसकी भूमि खसरा नम्बर 891 रकबा 2.57 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 892 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 895 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 896 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 897 रकबा 0.03 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 2.72 हैक्टेयर ग्रम शेरपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में है जिसके गत खसरा नम्बर 336 रकबा 2.72 हैक्टेयर था । उक्त भूमियों में पूर्व दिशा में रास्ता भू प्रबन्ध विभाग के द्वारा गलत इन्द्राज कर दिया , जो वर्तमान में भी मौके पर गैर मुमकीन रास्ता नहीं है तथा न ही पूर्व में कभी भी प्रार्थी की भूमि में से होकर रास्ता रहा है । भू प्रबन्ध विभाग द्वारा प्रार्थी की भूमि में उत्तर दिशा में जो डॉट डॉट लाईन दर्शायी गई है , वह सरासर गलत अंकित की

है जिसमें कभी भी पगडंडी या रास्ता नहीं है तथा न ही पूर्व में कोई रास्ता रहा है फिर भी गलत रूप से रास्ता इन्द्राज कर दिया गया है । प्रार्थी की भूमि के नक्शे को भी सैटलमेन्ट कर्मचारियों द्वारा रकबा कम कर छोटा कर दिया गया है । खसरा नम्बर 982 रकबा 0.06 हैक्टेयर में से गैर मुमकीन रास्ता गलत दर्ज किया है जिसका भू प्रबन्ध विभाग को कोई अधिकार नहीं है इससे प्रार्थी की भूमि का रकबा 0.06 हैक्टेयर बिना किसी वजह से कम कर दिया गया । अतः वर्णित भूमियों में डॉटेड लाईन से गलत रूप से दर्शित रास्ते को पुराने नक्शे अनुसार नये नक्शे में तरमीम किया जाकर नक्शा दुरूस्त किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

रेस्पोंडेन्ट के उक्त प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 9.7.2016 पारित किया कि " पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्रम शेरपुरा, पटवार मण्डल श्यामपुरा, तहसील दांतारामगढ के पुराने खसरा नम्बर 336 से नये बने खसरा नम्बर 891 रकबा 2.57 हैक्टेयर, 892 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 895 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 896 रकबा 0.02 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 897 रकबा 0.03 हैक्टेयर की उत्तरी सीमा को 150 मीटर के स्थान पर 156 मीटर , दक्षिणी सीमा को 148 मीटर के स्थान पर 156 मीटर, पूर्वी सीमा को 178 मीटर के स्थान पर 174 मीटर तथा पश्चिमी सीमा को 180 मीटर के स्थान पर 176 मीटर राजस्व नक्शे में दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते हैं "।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ के उक्त निर्णय दिनांक 9.7.2016 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ दिनांक 9.7.2016 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है उसमें पूर्वी दिशा में रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 की भूमि खसरा नम्बर 892 है जो गैर मुमकीन रास्ता है , की डोटेड लाईन को मिटाने के लिये तथा नक्शा दुरूस्ती हेतु रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 द्वारा वाद प्रस्तुत किया था जिसमें अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया जबकि अपीलान्ट खसरा नम्बर 892 की पूर्वी दिशा का सींव जोड पडौसी है तथा रेकार्डेड खातेदार काश्तकार है । प्रकरण में अपीलान्ट के हित निहित होने के कारण तथा भूमि का रिकार्डेड खातेदार होने के से वह हितबद्ध व्यक्ति है इसलिये यह अपील पेश की है । उनका कहना था कि दिनांक 1.8.2016 को रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्ट को यह धमकियॉ दी गई कि हमने तुम्हारी भूमि में से रास्ता कायम करवा लिया है तथा हमारे रास्ते की

डोटेड लाईन को मिटवा दिया है , अब तुम्हारी सीमाओं को खुर्द बुर्द करके पेड पौधे काटकर मौका व रिकार्ड की स्थिति परिवर्तित करके ही दम लेगें । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को न तो पक्षकार बनाया गया तथा न ही सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर ही दिया गया और न ही मौका रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करवाये गये । इससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 की साजिश से अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो न्यायिक नहीं होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे ।

रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि सैटलमेन्ट द्वारा रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 की भूमि खसरा नम्बर 892 रकबा 0.06 हैक्टेयर को रास्ता दिखा कर राजस्व नक्शे को छोटा कर दिया गया जिसका सैटलमेन्ट को कानूनन कोई अधिकार नहीं था । रेस्पोंडेन्ट के प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार दांतारामगढ से से रिपोर्ट ली गई जिसमें तहसीलदार ने पत्र दिनांक 2.7.2016 से रिपोर्ट भिजवाई थी जिसमें अंकित किया था कि ग्रम शेरपुरा के पुराने खसरा नम्बर 336 रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 891 रकबा 2.57 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 892 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 895 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 896 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 897 रकबा 0.03 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 2.72 हैक्टेयर बने थे । सर्वे शीट के अनुसार पुराने खसरा नम्बर 336 की उत्तरी सीमा की लम्बाई .56 मीटर, दक्षिणी सीमा की लम्बाई 156 मीटर, पूर्वी सीमा की लम्बाई 174 मीटर व पश्चिमी सीमा की लम्बाई 176 मीटर है जिसका क्षेत्रफल 2.73 हैक्टेयर बनता है । वर्तमान नक्शा शीट के अनुसार वर्तमान खसरा नम्बरों की उत्तरी सीमा की लम्बाई 150 मीटर, दक्षिणी सीमा की लम्बाई 148 मीटर पूर्वी सीमा की लम्बाई 180 मीटर है जिनका क्षेत्रफल 2.6671 हैक्टेयर बनता है । इस प्रकार पुराने खसरा नम्बर 336 के अनुसार उत्तरी सीमा को 150 मीटर के स्थान पर 6 मीटर बढाकर 156 मीटर, दक्षिणी सीमा को 148 मीटर के स्थान पर 8 मीटर बढाकर 156 मीटर , पूर्वी सीमा को 178 मीटर के स्थान पर 4 मीटर घटाकर 174 मीटर तथा पश्चिमी सीमा को 180 मीटर के स्थान पर 4 मीटर घटाकर 176 मीटर दुरूस्ती किया जाना उचित है । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में तहसीलदार से रिपोर्ट लेकर विधिवत रूप से अपीलाधीन आदेश पारित कर ग्रम शेरपुरा, पटवार मण्डल श्यामपुरा ,तहसील दांतारामगढ के पुराने खसरा नम्बर 336 से नये बने खसरा नम्बर 891 रकबा 2.57 हैक्टेयर, 892 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 895 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 896 रकबा 0.02 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 897 रकबा 0.03 हैक्टेयर की उत्तरी सीमा को 150 मीटर के स्थान पर 156 मीटर , दक्षिणी सीमा को 148 मीटर के स्थान पर 156 मीटर, पूर्वी सीमा को 178 मीटर के स्थान पर 174 मीटर तथा पश्चिमी सीमा

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

को 180 मीटर के स्थान पर 176 मीटर राजस्व नक्शे में दुरूस्त किये हैं , जो उचित एवं विधिसम्यक है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

मैने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में पक्षकारों के मध्य विवाद विवादित भूमि के नक्शे में दुरूस्ती किये जाने के संबंध में है । जमाबन्दी संवत 2071–2074 के अनुसार अपीलान्ट ग्रम शेरपुरा की आराजी खसरा नम्बर 941 , 942, 904 व 905 के खातेदार है, जो रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 की उपरोक्त भूमि से लगते हुये हैं । अपीलान्ट प्रकरण में हितबद्ध व प्रभावित पक्षकार थे लेकिन उन्हें अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार बनाये बिना ही रेस्पोंडेन्ट द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित कराया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में विधिक नहीं है । हम समझते हैं कि किसी भी हितबद्ध व प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में न्यायिक रूप से आवश्यक है । ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त करते हुये अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का मौहताज है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ जिला सीकर दिनांक 9.7.2016 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उन्हें उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय दिनांक दिनांक 30.9.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर